

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अक्षय कुमार शर्मा**

2. वर्तमान धारित पद **अधीनस्थ**

3. वर्तमान वेतन **77700/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **30.06.2020**

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3) भूमि	(4) *वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अधीनस्थ
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1) <b>श्रीवाहा CG-1 पुराना कवाटर नं. 6 बैरागाड़ श्रीवाहा</b>	(2) <b>जगह</b>	(3) <b>-</b>	(4) <b>50 लाख (लगभग)</b>	(5) <b>खराब</b>	(6) <b>विरासत (वर्ष 1970 में मेरी भाजू-श्रीमती हमी आई की दुबई 5/14 हुआ)</b>	(7) <b>-</b>	(8) <b>-</b>	

\* जहां लागू न हो कोट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतालाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि में परचाए पर भौषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की सेवा करने का प्रमाण देना उद्देश्यपूर्वक से मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या खराब या गड़बड़ धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर **[Signature]**  
 नाम **अक्षय कुमार शर्मा**  
 पद **अधीनस्थ**  
 विभाग **श.प्र. मन्त्री विभाग श्रीवाहा**

**[Signature]**  
 19/06/2020